

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अयोध्या प्रसाद पुत्र नेपाल नि० काशीपुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-59/21, 02. हनुमान पासवान पुत्र रामपाल नि० विसेनपुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-60/21, 03. गुड्डू पुत्र बच्चाराम नि० धनकन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-61/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दीना नाथ पुत्र सालिकराम नि० राधेपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-245/21, 02. मुन्ना लाल पुत्र टहलू नि० सोनीगुमटी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-246/21, 03. राजू वर्मा पुत्र लाल जी वर्मा नि० कचनापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-247/21, 04. लालमन पुत्र सूरज कुमार नि० बैकटाचार्य थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-248/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दीनानाथ तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी नि० पचरूखी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/21, 02. नेम प्रकाश पुत्र बनवारीलाल नि० ग्राम पंचरूखी मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-93/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दूधनाथ उर्फ राजन पुत्र राधेश्याम नि० ग्राम रेहरवा पेड़राही थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 01 किलो० यूरिया, नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-115/21, धारा 272 भादवि व 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. शिवकुमार पुत्र विफई, 02. श्रीमती सुकरा पत्नी स्वर्गीय विफई निवासीगण बुझावन पुरवा मछली गांव थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—106/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गोण्डा।** गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त सरवन पुत्र प्रेम चन्द्र नि० भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु०अ०सं०—505/20, धारा 323.504.506.324.326 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी साजिद अली पुत्र मोशरीफ नि० मनसुखपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के भाई आबिद को गाली—गुप्ता देते हुए मारा—पीटा था। जिससे वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने कायवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 01.04.2021**

**अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी में 145 पेटी शराब बरामद( अनुमानित मूल्य 5,25,000 /—), 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. हरखचन्द पुत्र स्व० शिवमंगल जायसवाल निवासी भटहर बाजार थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर, हालपता पकड़ी बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—93/21, धारा 60/60क आबकारी अधि० व 272.419.420.467.468.471 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 145 पेटी व 23 पौवा शराब (लगभग 1317 ली०)
02. 404 खाली शीशी व 302 ढक्कन।
03. 07 ली० अपमिश्रित शराब।
04. 04 क्यू०आर०कोड० व 5325 रु० नगद।

**संक्षिप्त विवरण—**

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये गये छापेमारी अभियान में थाना तरबगंज व आबकारी की संयुक्त टीम ने दिनांक 31.03.2021 को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन तथा लाइसेंसी दुकानों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पकड़ी बाजार स्थिति देशी शराब की दुकान पर छापेमारी की तो दुकान में अवैध रूप से रखी हुई उपरोक्त शराब/सामग्री बरामद कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त दुकान के मालिक व सेल्समैन द्वारा नकली क्यू०आर०कोड लगाकर अपमिश्रित शराब का कारोबार किया जा रहा था। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

**गिरफ्तार कर्ता टीम:—**

01. प्रभारी निरीक्षक तरबगंज, संतोष कुमार सरोज।
02. आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह मय टीम।
03. व०उ०नि० श्री बब्बन सिंह।
04. उ०नि० श्री रवि प्रकाश यादव।
05. उ०नि० श्री घनश्याम वर्मा।
06. का० सुरेश कुमार।
08. का० प्रभाकर यादव।
09. का० कौशल यादव।

10. का० संदीप चौहान ।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल**  
**जनपद गोण्डा दिनांक 01.04.2021**

**05 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. महावीर जायसवाल पुत्र स्व० महाराज दीन नि० विरामपुर पश्चिम टोला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—112/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 05 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।

**संक्षिप्त विवरण—**

जनपद गोण्डा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को विसुही पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ०नि० कुबेर तिवारी।
02. का० रितेश कुमार।
03. का० आशुतोष यादव।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल**  
**जनपद गोण्डा दिनांक 01.04.2021**

**अवैध तमंचा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. प्रहलाद सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह नि० इस्माइलपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-62/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

**संक्षिप्त विवरण—**

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर बन्धा चौराहा के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. उ०नि० दिलीप कुमार उपाध्याय।

02. उ०नि० अंकुर वर्मा।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 01.04.2021**

**गौवध निवारण अधि० में ०३ अभियुक्त गिरफ्तार:-**

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. मोबीन पुत्र सहदुल्ला नि० मथुरा डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. बोधर पुत्र वाहिद अली नि० मथुरा डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. साबिर पुत्र अनवर नि० सेल्हरी डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-103/21, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद गोवंशीय पशु का सिर।
02. 01 अदद पैर।
03. 01 अदद खाल।

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 31.03.2021 को उ०नि० राजकुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना होकर सेल्हरी तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सेल्हरी बड़ी नहर के पास भक्कू के खेत में कुछ लोग गोवंशीय पशु को काट कर उसके मांस को ले जा रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद गोवंशीय पशु का सिर, 01 अदद पैर व 01 अदद खाल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कटराबाजार में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ०नि० राजकुमार।
02. उ०नि० जय प्रकाश यादव।
03. का० नीरज सिंह।
04. हे०का० देवेन्द्र यादव।

सराहनीय प्रेस नोट  
मीडिया सेल  
जनपद गोण्डा दिनांक  
01.04.2021

**प्रभावी पैरवी से कराई अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा:—**

**अभियुक्त का नामपता—**

01. रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद नि० पूरे दत्तई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०स०—173/2018, धारा 302.376 भादवि व 5जी०/6 पाक्सो एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

**संक्षिप्त विवरण—**

थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 27.06.2018 में एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या करने की जघन्य घटना घटित हुई थी जिसके संबंध में थाना धानेपुर में मु०अ०स०—173/18 धारा—302.376 भादवि व 5<sup>जी</sup>/6 पाक्सो एक्ट बनाम रमेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी पूरे दत्तई पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त अभी भी न्यायिक हिरासत में निरुद्ध था। इस जघन्य घटना को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल तथा थाना धानेपुर के पैरोकार हे०का० हीरामणि व का० रवि उपाध्याय द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अत्यंत अल्प समयावधि में ही उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय पाँस्को कोर्ट गोंडा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।



सराहनीय प्रेस नोट  
मीडिया सेल  
जनपद गोण्डा दिनांक  
01.04.2021

थाना धानेपुर द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से ले जाये जा रहे 7 लाख रुपये

बरामद:-

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के अभियान में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा बग्गी रोड स्थान पर चेकिंग के दौरान एक वाहन में अवैध रूप से ले जाये जा रहे 07 लाख रुपये बरामद किये गये।